

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 726/2010/अलवर

मैसर्स पारले बिस्कुट्स लि०,
नीमराणा, अलवर
बनाम

.....अपीलार्थी

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन-प्रथम, आबूरोड़

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पंकज घीया, अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,

उप राजकीय अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 01/08/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) अलवर द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, भिवाड़ी (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 513/2000-01/आरएसटी/रिमाण्ड/09-10 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 15.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन प्रथम, आबूरोड़ (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 24.06.2000 के जरिये आरोपित शास्ति रूपये 1,65,863/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 20.06.2000 को वाहन संख्या आर.जे.19/जी-4124 एवं आर.जे.02/जी-4131 को नीमराणा से पूना जाते समय मावल के पास रोककर चैक किया गया। वक्त निरीक्षण वाहनों में "पारले बिस्कुट" स्टॉक ट्रांसफर के रूप में परिवहनित किये जा रहे थे। परिवहनित माल के बिल, बिल्टी, चालान आदि के साथ अधिनियम की धारा 78(2) एवं नियम 54 के अनुसार घोषणा पत्र एसटी 18सी संलग्न नहीं पाया गया था, जो माल के साथ संलग्न करना विधिक रूप से अनिवार्य था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन की मंशा मानते हुए अधिनियम की धारा 78(2) व नियम 54 के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अधिनियम की धारा 78(4)(9) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया



निरन्तर.....2


जिसको अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 1,65,863/- आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताया और कथन किया कि परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र एसटी 18सी लिपिकीय भूल से संलग्न होने से रह गया था, जो कि एक तकनीकी भूल है। इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की कर चोरी की मंशा को भी प्रकट नहीं किया गया है। उक्त दृष्टिकोण के आधार पर अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डी0पी0मेटल्स 124 STC 611 के प्रकरण में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के प्रकरण को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त करने का निवेदन किया।
5. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ में घोषणा पत्र एसटी 18सी होना आवश्यक है। परन्तु वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र एसटी 18सी संलग्न नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा जवाब के साथ घोषणा पत्र एसटी 18सी पेश कर जाहिर किया गया कि माल परिवहन के समय दस्तावेज तैयार करते समय उक्त फॉर्म्स तैयार तो कर दिये गये थे परन्तु लिपिकीय त्रुटिवश उक्त दोनों ट्रक चालकों को बिल-बिल्टी के साथ फॉर्म एसटी 18सी दिये जाने से रह गये थे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस दिनांक 20.06.2000 की पालना में अपीलार्थी द्वारा अपना प्रत्युत्तर, शपथ पत्र तथा पूर्ण घोषणा पत्र एसटी 18सी दिनांक 24.06.2000 को प्रस्तुत कर दिये गये थे। अपीलार्थी की ओर से उनके कर्मचारी श्री भोपाल सिंह राठौड़ द्वारा दिये गये अपने शपथ पत्र में कथन किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 16.06.2000 को बिल संख्या 53 जारी किया गया था एवं दिनांक 17.06.2000 को बिल संख्या 54 व 55 बनाये गये थे। इनके साथ ही फॉर्म एसटी 18सी संख्या 854231, 854232 एवं 854233 भी उनके द्वारा

3/

बना दिये गये थे तथा बिल संख्या 54 का फॉर्म एसटी 18सी संख्या 854232 तो ट्रांसपोर्टर को दे दिया गया था परन्तु बिल संख्या 53 एवं 55 के घोषणा पत्र त्रुटिवश उनके पास ही रह गये। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर/शपथ पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत घोषणा पत्र तैयार तो कर दिये गये थे परन्तु त्रुटिवश ही उसके कर्मचारी के पास ही रह गये तथा वाहन चालक को नहीं दिये जा सके। ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of Rajasthan & Anr. Vs D.P. Metals (2002) 1 SCC 279 : (2001) 124 STC 611 (SC) के निर्णय में स्थापित सिद्धान्त का लाभ दिया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है जिसमें त्रुटिवश घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं होने की दशा में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए कुछ अवसर प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त निर्णय का संदर्भित अंश इस प्रकार है :- "If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking, principles of natural justice may require some opportunity being given to produce the same."

7. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में वांछित घोषणा पत्र एसटी 18सी त्रुटिवश ही अपीलार्थी कम्पनी के कर्मचारी के पास रह जाना परिलक्षित है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर उसके द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे, अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर संदर्भित निर्णय का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी का शास्ति आरोपण संबंधी आदेश तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने संबंधी आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपास्त किये जाने योग्य हैं।
8. फलतः अपीलीय आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।
9. निर्णय सुनाया गया।



01.08.2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य